रायपुर, दिनांक 25.05.22

विदा सूचना //

लिये 2022-2023 में लगने वाले डेन्टल मटेरियल,
भागी के क्रय हेतु मोहरबंद निविदायें, निर्माताओं तथा
Dealers or sub-dealers) से आमंत्रित की
साइट www.govtdentalcollegeraipur.in
रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य शासकीय
देय हो संलग्न करना अनिवार्य है अथवा दिनांक
रू. 500/- नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर
सी योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है:-

अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)
18 लाख	54 हजार

2022 समय 5.30 बजे सायंकाल तक
2022 समय 5.30 बजे सायंकाल तक
2022 समय दोपहर 12.00 बजे
दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

न कम्पनी लिमिटेड
न उपक्रम)

नी जिला बैतूल (म.प्र.) 460447
66 / फोन न. 278422
वेबसाईट :-mppgcl.mp.gov.in

Sarni, dated 23.06.2022

की सूचना

ने अधीक्षण अभियंता (क्रय एवं कार्य) के
हन हेतु अधिसूचना क्रमांक -

/P&W/CHP-III/WT-3853/ Tender ID-
Dtd. 29.04.2022.
/P&W/CHP-III/WT-3781/ Tender ID-
6 Dtd.09.03.2022.
/P&W/CHP-III/WT-3780/ Tender ID-
Dtd.09.03.2022.
/P&W/CHP-III/WT-3757/ Tender ID-
6 Dtd.04.03.2022.
/P&W/CHP-III/WT-3782/ Tender ID-
Dtd.09.03.2022.

ध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय प्रधान
यदि कोई व्यक्ति/व्यक्तियों, पक्ष / पक्षों इस
कदम से व्यथित है जो भविष्य में उठाए गए
न्यायालय में रिट याचिका /याचिकायें को
अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना / प्रार्थनायें
संलग्नों के साथ म.प्र.पॉ.ज.कं.लि.के वकील

. 8, स्कीम नंबर-18,
ाईल नंबर-9755510317
harma-adv@gmail.com

ओर से)

पाया है। अगर किसी को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

वेबसाईटः http://cbi.nic.in
ई-मेलः cic@cbi.gov.in
फैक्सः 011-24368639
फोन नं.: 011-24368638, 24368641

थानाध्यक्ष
थाना विजय विहार, दिल्ली
फोन: 011-27521296, 27521295

DP/1580/RD/2022

गाजियाबाद नगर निगम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गतः–

टॉवर लाईसेन्स संबंधी

1. उ0प्र0 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में टॉवर स्थापना, नियन्त्रण एवं निनियमन संबंधी उपविधि बनाये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0–08/574 दिनांक 30.06.2014 के द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत स्थापित टॉवर स्थापना, नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि बनाये जाने के लिये नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 4959 की धारा 404, 434, 452, 54 (20), (4) व (49) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नगर निगम सीमान्तर्गत जिस कम्पनी का टॉवर स्थापित है, संबंधित कम्पनी से अंकन रू0 25,000/– प्रति टॉवर लाईसेन्स शुल्क जमा कराकर उसका लाईसेन्स निर्गत कराये जाने है तथा उपविधि तैयार किया जाना है।

केबल ऑपरेटर संबंधी

2. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–406/नौ–9–997–95जनरल/996, नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ, दिनांक 10.02.1997 के प्रस्तर सं0–04 में यह उल्लेखित है कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा डिस्क एण्टीना लगाकर सड़कों पर लकडी के खम्भे लगाकर या नगर निगम के विद्युत पोलों पर तार लगाकर भवनस्वामियों को कनेक्शन देकर आय अर्जित की जाती है। ऐसे डिस्क एण्टीना पर भी ऑपरेटर्स द्वारा दिये गये कनेक्शनों की संख्या के आधार पर तथा वाई–फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों से भी केबल ऑपरेटर की भाँति ही लाईसेन्स शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। शासन के द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में:– (क) डिस्क ऑपरेटर्स/वाई–फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों के द्वारा 01 एण्टीना/वाई–फाई के माध्यम से 200 कनैक्शन तक दिये जाने पर– 5000 रू0 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क (ख) डिस्क ऑपरेटर्स/वाई–फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों के द्वारा 0, एण्टीनाध्वाई–फाई के माध्यम से 200 से अधिक कनैक्शन दिये जाने पर– 7000 रू0 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के संबंध में मा0 सदन की बैठक दिनांक 07.06.2022 के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। जिसके अनुसार नगर निगम हेतु उपविधि तैयार की जानी है।

स्मार्ट पार्किंग संबंधी

3. नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–2, सन1959) की धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9–क) धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन उत्तर प्रदेश नगर (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण एवं संचालन) नियमावली 2015 को शासन के द्वारा जारी जे है स0–235/9–9–205–22ज/3 लखनऊ दिनांक 3.2.2015 के अनुपालन में तैयार किया जाना है, जिसके अनुसार नगर निगम हेतु उपविधि तैयार की जानी है।

नामान्तरण शुल्क संबंधी

4. मा0 कार्यकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव सं0–8 के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि यदि नामान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता द्वारा दस्तावेज समयान्तर्गत अर्थात 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत नही किये जाते है तो आवेदनकर्ता को समन शुल्क/विलम्ब शुल्क के रूप में रू0 1000/– जमा करने होगे तथा नगर निगम के सम्पत्तिकर रजिस्टर में दर्ज नाम और आवेदनकर्ता के बीच में यदि कोई बैनामे उक्त सम्पत्ति का किया गया है लेकिन उनके द्वारा अपना नाम नगर निगम अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज नही कराया गया है अथवा छूटे है तो आवेदनकर्ता को उनकी नाम–परिवर्तन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क भी जमा करनी होगी।

ट्रेड लाईसेन्स संबंधी

5. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–6/सी0एम0/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 6.2.1997 के कम में नगर निकाय स्थित प्रतिष्ठानों हेतु कुछ मदों की निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए मा0 कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्तावित दरों को लागू किये जाने हेतु बॉयलॉज तैयार किया जाना है। उपरोक्त प्रस्तावित 05 बॉयलॉजों का प्रारूप नगर निगम की वेबसाईट http://ghaziabadnagarnigam.in व नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है। यदि उपरोक्त के संबंध में किसी आमजन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित कक्ष सं0–07 में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

बड़ी खबर के कई पहलू, एक साथ amarujala.com पर

1.	Bid Due date & time (The last date & time for submission of bid response, after which no bids can be submitted.)	Date ... (Time 17:
2.	Bid Open, Start date & time (The date of opening of Envelope- A & B online)	Date 21/06 (Time 11:

निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

विज्ञापन क्र. 91994 दिनांक 08.06.2022

G-92358/1

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी
(म.प्र. शासन का उपक्रम
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह,पो.आ.सा
बैतूल(म.प्र.) 460447
फैक्स न. 07146-278466 / फोन

ई-मेल - se.pnw1234@gmail.com वेबसाईट -
No. 08-004/P&W/653

सामान्य सूचना

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी अपने अधीक्षण अभियंता (क्रय ए
द्वारा कोयले के परिवहन हेतु अधिसूचना क्रमांक -

06. Tender Notice No. 08-004/STPS/P&W/CHP-III/
MPPGC_210050_1/642 Dt.23.06.2022.
07. Tender Notice No. 08-004/STPS/P&W/CHP-III/
MPPGC_ 210051_ 1/644 Dtd.23.06.2022.
08. Tender Notice No. 08-004/STPS/P&W/CHP-III/
MPPGC_210048_1/645 Dtd.23.06.2022.
09. Tender Notice No. 08-004/STPS/P&W/CHP-III/
MPPGC_ 210049 _1/646 Dtd. 23.06.2022.
10. Tender Notice No. 08-004/STPS/P&W/CHP-III/
MPPGC_ 210052_1/647 Dtd.23.06.2022

के संबंध में जबलपुर में मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्या
सूचना दाखिल कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति/व्यक्तियों,
या किसी भी परिणामी कदम से व्यथित है जो भविष्य मे
संभावना है तो उच्च न्यायालय में रिट याचिका /याचिका
चुनें और किसी अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना/प्रार्थनायं
प्रति सभी संलग्नों के साथ म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., के व
प्रस्तुत करें :-

सिद्धार्थ सुधीर शर्मा, एडवोकेट
कार्यालय - पहली मंजिल, ब्लॉक नं. 8, स्कीम नंबर-
सिविक सेंटर, जबलपुर (म.प्र) मोबाईल नंबर-9755
ई मेल- आईडी: siddharthasharma-adv

(सिद्धार्थ सुधीर शर्मा

कार्यालय अधीक्षण अ
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्र
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा स

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा ''डी'' श्रेणी
निविदा आमंत्रित की जाती है।

एन.आई.टी. क्र./ निविदा क्र.	कार्य का नाम
1	2
NIT No. 35 Tender No. 103074	धमतरी उपसंभाग के अन्तर्गत झिरीया-देवरी-बोदाझापर मार्ग कि.मी.4/2 से 5/2 = 1.20 कि.मी. मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)

---

nk

जोनल कार्यालय, नोएडा:डी-211/2, सेक्टर-61, नोएडा-201301, फोन : 0120-2583586 फैक्स : 0120-2583592
शाखा- बिल्डिंग नं. 45 नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, गोस्ट ब्लॉक नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर-201301

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुन:निर्माण और प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत सूचना।

पास निम्न ऋण खातों के संबंध में निम्न ऋणकर्ताओं/गारंटरों/रेहनकर्ताओं को पंजी. डाक/स्पीड पोस्ट/ कूरियर के द्वारा निम्न
अधिनियम, 2002 की वितीय परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण व पुन:निर्माण और प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत सूचना।
सहमत दर पर अग्रिम ब्याज/लागत के साथ निम्न उल्लेखित ...

(54)

कार्यालय अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक 2600 /अ0न0आ0/पार्किंग/2016-17 दिनांकः 19/1/17

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय उ0प्र0
ऑठवा तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

विषयः- उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना का गजट में प्रख्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपके पत्र सं0 3/2624-सा0/261-सा0/2016 दिनांक 23.12.2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना का गजट में प्रख्यापन किये जाने के सम्बन्ध में पार्किंग नियमावली का आलेख तैयार कर दिया गया है।

उक्त नियमावाली स्वीकृति की प्रत्याशा में नगर निगम सदन में विचाराधीन है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नः- यथोक्त

भवदीय

19/1/17

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपिः- 1. नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।

19-01-2017

19/1/17

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या–1235 / 9–9–2015–221ज / 13
लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2015
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, सन् 1959) धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9–क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा(2)की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियॉ और सुझाव यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे, ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2015'' कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2 (1) जबतक विषय या सदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959'' से है:

(ख) **''पार्किंग स्थल''** का तात्पर्य ऐसे अधिकृत और चिन्हांकित भूखण्ड या भवन या संरचना या स्थान से है, जहॉ वाहन खड़े किये जा सकते हों:

(ग) ''वाहन'' का तात्पर्य किसी पहियेदार गाड़ी से है जिसे सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत बाइसिकिल, ट्राईसिकिल या उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–21 सन् 1997) में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी से है:

(घ) ''शुल्क '' का तात्पर्य वाहन की पार्किंग के निमित्त संगृहीत प्रभार से है:

(ङ) "संचालक" का तात्पर्य पार्किंग स्थल के रख–रखाव, प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिये नियमों के अधीन सक्षम स्तर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

प्रतिबन्ध 3. कोई भी व्यक्ति, नगर आयुक्त द्वारा चिन्हित और प्राधिकृत पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी भी सड़क , सड़क पटरी, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा और न करवा सकेगा।

पार्किंग स्थलों की व्यवस्था 4. विभिन्न स्थानों पर यथावश्यक पार्किंग स्थलो का चिन्हीकरण और विकास निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगाः–

(क) विद्यमान पार्किंग स्थलों की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, उनकी संख्या में वृद्धि और आवश्यकतानुसार तलो की संख्या बढ़ाई जायेगी।

(ग) पार्कों के नीचे पार्किंग स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्को में लगभग 90 प्रतिशत भाग में भूतल पर हरितक्षेत्र हो और उसका विकास और अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) पार्किंग स्थलों के लिये, वैकल्पिक स्थानों यथा फ्लाईओवर के नीचे जहॉ समुचित हो, हरितपट्टिका के साथ पार्किंग की व्यवस्था , बाजारों, मेलों, खुले सार्वजनिक स्थानों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब उनका उपयोग उक्त कार्यो में न हो रहा हो, निर्धारित समयावधि में पार्किंग व्यवस्था की जा सकेगी।

(ड़) व्यावसायिक और मिश्रित भू–प्रयोग के सम्बन्ध में पार्किंग मानकों की समीक्षा और समुचित गलियों में अधिकृत पार्किंग का प्राविधान करने पर विचार किया जा सकेंगा।

(च) सभी सार्वजनिक , व्यावसायिक, और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग स्थल सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) आवासीय या व्यावसायिक भवनों के सामने सार्वजनिक मार्गो या स्थानों पर रात्रिकाल में वाहन पार्किंग करने पर पार्किंग शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार लिया जा सकता है।

(ज) निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने के प्राविधानों पर विचार किया जायेगा।

(झ) जब कभी विकास प्राधिकरण, विकासकर्ताओं ,या किसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोई विकास योजना बनाई

जाय अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जॉय अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जायें तो समुचित पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ञ) लोक परिवहन के प्रमुख स्थलों पर 'पार्क एण्ड राइड' की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ट) नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था का निजीकरण भी विचारणीय होगा।

(ठ) नगरीय क्षेत्रों में मिश्रित भू–प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय जिससे आवासीय क्षेत्रों में कार्य स्थलों का निर्माण और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जिससे एक स्थल से दूसरे स्थल के लिए आवागमन के लिए वाहनों और पार्किंग स्थल की आवश्यकता को सीमित किया जा सके।

(ड) सामूहिक परिवहन, मेट्रो आदि की सुविधायें उपलब्ध कराकर और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित कर पार्किंग की मांग में कमी लाई जा सकेगी।

(ढ) नगर में रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, कालेजों, होटलों, कारखानों, अस्पतालों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों और स्थानों के समीप सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

पार्किंग स्थलों का संचालन

5. (1) नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग स्थलों का समुचित अनुरक्षण नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, द्वारा किया जायेगा।

(2) पार्किंग स्थलों का अनुरक्षण , संचालन, प्रबन्धन, विनियमन और उसके लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली कराने हेतु निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति नगर आयुक्त के लिये विधि सम्मत होगी:–

(एक) निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुबन्ध द्वारा।

(दो) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(तीन) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

(चार) स्थानीय निकाय के निजी श्रोतों द्वारा।

(पॉच) अन्य रीति जैसा कि नगर निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित किसी भी रीति के लिये निबन्ध और शर्तों का निर्धारण नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेगा और इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र –1 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(4) अन्य विस्तृत निबन्धन और शर्तों , प्रतिबन्धों, सूचनाओं, प्रतिभूतियों प्रकियाओं एवं अपेक्षित निर्देशों का निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा।

सीमा का अभ्यंकन 6. (1) प्रत्येक पार्किंग स्थल की सीमा का अभ्यंकन किया जायेगा और सीमा चिन्ह अंकित किये जायेगे।

(2) उपनियम (1) में नियत सीमा से बाहर पार्किंग का प्रयोग दण्डनीय होगा।

दरों कानिर्धारण 7. (1) वाहन की पार्किंग हेतु प्रभार की दरें नगर आयुक्त की संस्तुति पर नगर निगम द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(2) नगर के विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुए अलग –अलग श्रेणी में पार्किंग के प्रभार की अलग–अलग दरें पीक आवर, नान पीक आवर, क्षेत्र की संघनता और व्यावसायिक गतिविधियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त द्वारा संस्तुत की जा सकेगी।

(3) पार्किंग प्रभार की दरें प्रपत्र–2 में पार्किंग स्थल पर किसी सुस्पष्ट स्थान पर न्यूनतम 1मीटरX.75मीटर का पट लगाकर सम्प्रदर्शित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पार्किंग शुल्क दर की पट को किसी कागज, रंग या अन्य प्रकार से विरूपित न किया जाये।

पार्किंग स्थलों की अनुज्ञा प्रदान करना 8. (1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन नगर निगम सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्धन, संचालन एवं अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली की मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) अनुज्ञा शुल्क और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर जैसा कि नगर निगम द्वारा समय समय पर नियत किये जाये, वसूल किये जायेंगे।

(3) अनुज्ञा केवल उस अवधि के लिये वैध होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गई हो।

(4) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञापी वहॉ पर किसी भी प्रकार से पार्किंग क संचालन नहीं करेगा।

(6) पार्किंग स्थल पर वाहन पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेगें ताकि अन्य वाहन को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो

सकें।

(7) लोक हित में, नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा–पत्र निलम्बित या निरस्त कर दें।

(8) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्धन अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञापी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल के परिसर की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(10) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार टूट फूट या क्षति की प्रतिपूर्ति संचालक से की जायेगी।

पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति

9. यदि कोई व्यक्ति, संस्था, एजेन्सी, पार्टनर, ठेकेदार या संचालक इस नियमावली के प्राविधनों का उल्लंघन कर पार्किंग कार्य को संचालित करता है, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे हटवा सकता है अथवा पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्यवाही जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

पार्किंग हेतु निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

10. नगर निगम या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड में पार्किंग स्थलों के निर्माण, विकास अथवा संचालन के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

प्रवर्तन

11 अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के लिये वाहन हटाने के प्रभार के साथ कार्यवाही नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेंगा।

अपराधो के लिये दण्ड और उनका प्रशमन

12. (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(श्री प्रकाश सिंह)
सचिव